शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं कार्यपुस्तिकायें

संक्षिप्त विवरण-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समस्त परिषदीय/ राजकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत् बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक/ कार्यपुस्तिकाओं का वितरण किया जाता है।

संचालित गतिविधियां-

वार्षिक बजट एवं कार्ययोजना 2015-16 में प्रस्तावित छात्र संख्या के आधार पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों/ कार्यपुस्तिकाओं का वितरण किया जा चुका है। आपूर्तिकर्ता फर्म को कटौती के उपरान्त शतप्रतिशत भुगतान किया जा चुका है।

वित्तीय विवरण-

वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु स्वीकृत धनराशि (लाख में) 230.16 रही जिसके सापेक्ष जनपद के द्वारा 161.77 लाख रूपये का व्यय किया गया।

निःशुल्क यूनिफार्म

संक्षिप्त विवरण-

इस योजना के अन्तर्गत परिषदीय/राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफार्म का वितरण किया जाता है।

संचालित गतिविधियां-

निःशुल्क यूनीफार्म वितरण हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये नामांकन के अनुसार विद्यालय प्रबन्ध समिति के खातों में 100 प्रतिशत धनराशि हस्तान्तरित की जा चुकी है। परिषदीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों को यूनिफार्म वितरण करायी जा चुकी है।

वित्तीय विवरण-

वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु स्वीकृत धनराशि 782.04 (लाख में) रही जिसके सापेक्ष जनपद के द्वारा 751.05 लाख रूपये का व्यय किया गया।

समेकित शिक्षा कार्यक्रम

संक्षिप्त विवरण-

06-14 वय वर्ग के विशिष्ट आवश्यकता वाले समूह के बच्चों (श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित, मंद बुद्धि, अस्थि विकलांग आदि) हेतु समेकित शिक्षा कार्यक्रम संचालित है, कार्यक्रम के अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने के उद्देश्य से घुमन्तू शिक्षकों की व्यवस्था की गयी है जिनके वेतन व यात्रा व्यय का भुगतान नियमानुसार प्रत्येक माह किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को विकलांग प्रमाण पत्र एवं उपकरण/ उपस्कर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उ0प्र0 स्वास्थ्य विभाग एवं एलिम्को इण्डिया, कानपुर से समन्वय स्थापित कर मेडिकल असेसमेण्ट कैम्प एवं मेजरमेण्ट केम्प/वितरण कैम्पों का आयोजन किया जाता है। परिषदीय विद्यालय में नामांकित किये गये विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का सम्प्राप्ति स्तर बढ़ाने हेतु एवं आयुसंगत कक्षा में प्रवेश दिलाये जाने हेतु 02 आवासीय एक्सीलेरेटेड कैम्प का आयोजन संचालित किया जा रहा है।

संचालित गतिविधियां-

- विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों हेतु 02 आवासीय एक्सीलेरेटेड कैम्प का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 100 बच्चे पंजीकृत हैं। अध्ययनरत् सभी बच्चों को निःशुल्क भोजन, कपड़ा, चिकित्सा सुविधा एवं उपकरण/उपस्कर उपलब्ध कराया जा रहा है।
- जनपद के विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की अक्षमता का आंकलन करने हेतु एल्मिको कानपुर के सहयोग से मापन शिविर का आयोजन कराया जा चुका है, जिसमें विभिन्न प्रकार की विकलांगता हेतु 174 बच्चों को उपकरण/उपस्कर उपलब्ध कराये जाने हेतु चिन्हित किया गया था, जिसमें एल्मिको कानपुर के माध्यम से वितरण शिविर आयोजन करते हुए उपकरण सामग्री वितरित की जा चुकी है।
- वार्षिक कार्ययोजना व बजट में जनपद के दृष्टिबाधित, मानसिक मंदित, सेरेब्रल पालिसी एवं जापानी इंस्फ्लेटाइस सिन्ड्रोम (जे0ई0/ए0ई0एस0) से प्रभावित 100 बच्चों का चिन्हांकन किया गया है। उक्त बच्चों की विद्यालयों में उपस्थिति खण्ड शिक्षा अधिकारियों से प्रमाणित कराकर प्राप्त की गयी है। प्रमाणित सूची के आधार पर जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त एस्कार्ट एलांउस की धनराशि बच्चे के अभिभावकों के खातों में प्रेषित की जा चुकी है। दृष्टिबाधित सभी बच्चों को ब्रेल पाठ्य पुस्तक एवं ब्रेलर, ब्रेल स्टिक, ब्रेल कैन इत्यादि दिये जा चुके हैं।
- जनपद स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर कल्चरल मीट एवं स्पोर्ट व एकेडमिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है।
- सभी विकास खण्ड में मेडिकल कैम्प का आयोजन मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित टीम द्वारा कराया जा चुका है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के विद्यालयों के अध्यापकों का 05 दिवसीय सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण कराया जा चुका है।

वित्तीय विवरण-

वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु स्वीकृत धनराशि (लाख में) 115.59 रही जिसके सापेक्ष जनपद के द्वारा 78.48 लाख रूपये का व्यय किया गया।

भवन अनुरक्षण कार्य

संक्षिप्त विवरण-

विद्यालय की रंगाई पुताई एवं लघु मरम्मत इत्यादि के लिये तीन कक्षों वाले विद्यालयों हेतु रू0 7500/-, तीन से अधिक कक्षा-कक्षों वाले विद्यालयों हेतु रू0 10000/- की धनराशि निर्धारित है जो कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त विद्यालय प्रबन्धन समितियों के खातों में हस्तांतरित की जायेगी।

संचालित गतिविधियां-

परिषदीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों में भवन अनुरक्षण कार्य हेतु राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा अवमुक्त 100 प्रतिशत धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समिति के खातों में हस्तान्तरित की जा चुकी है तथा विद्यालय भवन की रंगाईपुताई व लघु मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है।

वित्तीय विवरण-

वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु स्वीकृत धनराशि (लाख में) 185.85 रही जिसके सापेक्ष जनपद के द्वारा 165.94 लाख रूपये का व्यय किया गया।

विद्यालय विकास अनुदान

संक्षिप्त विवरण-

विद्यालयों की आधारभूत आवश्यकताओं यथा स्टेशनरी, फर्नीचर की फरम्मत एवं टाटपट्टी की व्यवस्था की जाती है। इस मद में प्रत्येक विद्यालय हेतु रू0 5000 की धनराशि स्वीकृत है।

संचालित गतिविधियां-

परिषदीय विद्यालयों में विद्यालय विकास अनुदान हेतु राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा अवमुक्त 100 प्रतिशत धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समिति के खातों में हस्तान्तरित की जा चुकी है तथा विद्यालय में विद्यालय विकास अनुदान का कार्य कराया जा रहा है।

वित्तीय विवरण-

वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु स्वीकृत धनराशि 151.21 (लाख में) रही जिसके सापेक्ष जनपद के द्वारा 148.84 लाख रूपये का व्यय किया गया।

कस्तूरबा गॉधी आवासीय बालिका विद्यालय

संक्षिप्त विवरण-

इस योजना के अन्तर्गत 11 से 14 वर्ष के वय वर्ग की प्रति विद्यालय अधिकतम 100, कुल 13 विद्यालयों में 1300 आउट ऑफ स्कूल व ड्रॉप आउट बालिकाओं को कक्षा-6 से 8 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाती है।

संचालित गतिविधियां-

बालिकाओं को नवीन मीनू के अनुसार भोजन एवं जलपान की व्यवस्था करायी जा रही है, जिसमें बालिकाओं को अतिरिक्त पौष्टिक आहार एवं बच्चों की क्षेत्रीयता एवं रूचि के अनुसार लजीज व्यंजन मीनू में उपलब्ध कराये जा रहे है। समस्त पात्र बालिकाओं को प्रतिमाह रू0 100.00 की दर से स्टाइपेण्ड की धनराशि बालिकाओं के खाते में अन्तरित की जा रही है। समस्त बालिकाओं को दैनिक उपयोग की वस्तुऐं, स्टेशनरी, दवाईयॉ उपलब्ध करायी जा चुकी है। विद्यालयों में स्पेसिफिक स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम गतिमान है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षकों के चयन उपरांत जूडो कराटे प्रशिक्षण संचालित किया जायेगा। विद्यालयों में कार्यरत स्टाफ को नियमित रूप से मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। विद्यालयों में अभिप्रेरण शिविर का आयोजन माह मार्च, 2016 में किया जा चुका है।

वित्तीय विवरण-

वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु स्वीकृत धनराशि 599.66 (लाख में) रही जिसके सापेक्ष जनपद के द्वारा 282.95 लाख रूपये का व्यय किया गया।

मध्यान्ह भोजन योजना

योजना का आरम्भ-

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 196/2001 पीपुल्स युनियन फार सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन आफ इण्डिया में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 नवम्बर 2001 को दिए गए निर्देशों के क्रम में प्रदेश में दिनांक 01 सितम्बर 2004 से पका-पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराये जाने की योजना आरम्भ की गयी है। तदन्तर अक्टूबर 2007 में इस योजना का विस्तार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किया गया है। दिसम्बर 2010 से यह योजना विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों तथा ऐसे राजकीय एवं सहायता प्राप्त इंटर कालेजों में प्रारम्भ की गयी है जिनमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तथा कक्षा 6 से कक्षा 8 संचालित हैं।

योजना के प्रमुख उद्देश्य-

- प्रदेश के राजकीयए परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अर्ह प्राथमिक विद्यालयोंए ई०जी०एस० एवं अ०आइ०ई० केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करना।
- पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा कर बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना।
- विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाना।
- प्राथमिक कक्षाओं में विद्यालय में छात्रों के रुकने की प्रवृत्ति विकसित करना तथा ड्राप आउट रेट कम करना।
- बच्चों में भाई.चारे की भावना विकसित करना तथा विभिन्न जातियों एवं धर्मो के मध्य के अंतर को दूर करने हेतु उन्हें एक साथ बिठा कर भोजन कराना ताकि उनमे अच्छी समझ पैदा हो।

योजना के संसाधन-

योजना में व्यय होने वाली धनराशि में केन्द्र सरकार की 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार की 40 प्रतिशत भागीदारी है।

मध्यान्ह भोजन योजना की विशिष्ट उपलब्धियां :-

- नवीन मेनू को विद्यालयों की दीवार पर 6*8 साइज में पेंट कराया गया है ताकि पारिदर्शिता बनी रहे एवं परोसा जा रहा भोजन मेन्यू के अनुरुप है या नहीं, यह सर्वविदित रह सके।
- विद्यालय स्तर पर प्रदूषण रहित भोजन उपलब्ध कराये जाने हेतु 2233 विद्यालयों में गैस कनैक्शन की उपलब्धता करायी गयी है।
- विद्यालयों में भोजन पकाने हेतु छात्र संख्या अनुसार 5268 रसोईयों का चयन कराया गया है।
- आई0वी0आर0एस0 सिस्टम के माध्यम से प्रतिदिन विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजना से लाभान्वित छात्रों का विवरण दूरभाष के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।
- विद्यालयों में भोजन निर्माण हेतु 1719 किचिन शेड के निर्माण कराये गये।
- विद्यालयों में भोजन निर्माण हेतु समस्त विद्यालयों में वर्तन क्रय कराये गये।

- जनपद में वर्तमान में कुल 2663 विद्यालयों में मध्यान्ह भेजन योजना का संचालन हो रहा है जिनमें जनपद के लगभग 250710 छात्र-छात्रायें योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।
- भोजन निर्माण हेतु प्राथमिक विद्यालयों में रु0 3.86 प्रतिछात्र प्रतिदिवस एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रु0 5.78 प्रतिछात्र प्रतिदिवस के अनुसार परिवर्तन लागत धनराशि का प्रेषण किया जाता है।
- भोजन निर्माण हेतु प्राथमिक विद्यालयों में 100 ग्राम प्रतिछात्र प्रतिदिवस एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रु0 150 प्रतिछात्र प्रतिदिवस के अनुसार खाद्यान्न का प्रेषण किया जाता है।
- प्रत्येक बुधवार को मध्यान्ह भोजन के अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में 150 मि0ली0 दूध एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 200 मि0ली0 दूध का वितरण छात्र-छात्राओं को किया जाता है।
- माह जुलाई 2016 से प्रत्येक सोमवार को छात्र-छात्राओं हेतु फल वितरण कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है जिस हेतु प्रतिछात्र रु0 4.00 का भुगतान विद्यालयों हेतु किया जायेगा।

मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयः-

- परिषदीय प्राथमिक विद्यालय- 1774
- परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय- 734
- शासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय- 2
- शासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय- 33
- राजकीय माध्यमिक विद्यालय - 18
- सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय- 98
- सहायता प्राप्त मदरसा - 4
- विशेष बाल श्रमिक विद्यालय- 0

कुल योग- 2663

वर्ष 2016-17 में जनपद को आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरणः-

क्रम संख्या	मद का नाम	आवंटित धनराशि लाख रु0 में	व्यय धनराशि लाख रु0 में	अवशेष धनराशि लाख रु0 में	विवरण
1	परिवर्तन लागत	393.44	0.00	393.44	जनपद के समस्त विद्यालयों में माह मार्च 2016 के समायाजनोपरान्त प्रेषण की कार्यवाही की जा रही है।
2	रसोईया मानदेय	159.63	0.00	159.63	जनपद के समस्त विद्यालयों में माह जनवरी 2016 के समायाजनोपरान्त प्रेषण की कार्यवाही की जा रही है।
3	खाद्यान्न मूल्य भुगतान	0.00	0.00	0.00	जनपद को वर्तमान वित्तीय वर्ष में धनराशि अप्राप्त है।
4	खाद्यान्न परिवहन व्यय भुगतान	0.00	0.00	0.00	जनपद को वर्तमान वित्तीय वर्ष में धनराशि अप्राप्त है।